**<u>द्वारा ई–मेल / फैक्स / समयवद्ध</u>**

# उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता–।।)–2016 दिनॉकःसितम्बर 3,2016

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
5–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

----

**<u>विषय:</u>** प्रशिक्षण बैच–2000–01 तक प्रशिक्षण प्राप्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

---

कृपया उपर्यक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 01–09–2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण बैच–2000–01 तक प्रशिक्षण प्राप्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची, जिसमें कुल–1063 कर्मियों का नाम अंकित है, प्रकाशित करते हुये आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी है। साथ ही अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित उपनिरीक्षकों के सेवा अभिलेख में विगत 10 वर्षो के वार्षिक मन्तव्य व अन्य प्रविष्टियों को (वर्ष–2005 से 2014 तक) पूर्ण कराकर बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें तैयार कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जायः–

(1)– अनन्तिम **वरिष्ठता सूची में** अंकित **उपनिरीक्षकों का विवरण बोर्ड प्रपत्र–1 में वर्ष–2005 से 2014 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट–आफ–डेट 01–07–2015 होगी।** बोर्ड प्रपत्र–1 को भरने हेतु दिशा–निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक **''प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ''** पर क्लिक करने पर ''प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप'' के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहॉ से डाउन लोड किये जा सकते हैं।

(2)– **बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें ए–3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।** यदि किसी जनपद / इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

(3)– उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एंव बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें सम्बन्धित जनपद / इकाईयों द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक / सम्बन्धित इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेगें।

(4)– कतिपय उपनिरीक्षकों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित समस्त उपनिरीक्षकों से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय। **(स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।)**

(5)– यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–1 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी उपनिरीक्षकों के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–1 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

(6)– सम्बन्धित उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें (ए–3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा–पत्र दोनों 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 लेकर **सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–5 में दिनॉक 11–09–2016 तक उपस्थिति होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराना सुनिश्चित करेंगे।**

3– अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(ए0 के0 शुक्ला) 3/9
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिःसमस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने परिक्षेत्र के जनपदों से उपरोक्तानुसार अनन्तिम वरिष्ठता सूची **में अंकित** उपनिरीक्षकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें **(ए–3 साइज पेपर पर)** प्राप्त कर परीक्षण/हस्ताक्षरोपरान्त जनपद के सम्बन्धित सहायक के माध्यम से नियत तिथि 10–09–2016 तक पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।

2– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।

3– आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

4– पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।

5– पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।

6– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।

7– संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।

8– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।

9– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

10– संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

11– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।

––––

<u>स्वघोषणा–पत्र</u>

मैं, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————पुत्र ——————निवासी——————————थाना——————जनपद———————— वर्तमान में (जनपद/इकाई)—————————— नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र——————का उपनिरीक्षक हूँ। मैं, प्रमाणित करता हूँ किः–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉकः—————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————— धारा———————थाना —————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनॉकः——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर<br>
नाम/पदनाम/पीएनओ<br>
नियुक्ति स्थान–<br>
दिनॉकः

<u>प्रमाणित</u>

जनपद/इकाई के प्रभारी<br>
नाम/पदनाम की मुहर

**<u>नोटः</u>**–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का सेवा विवरण
भर्ती / रिक्ति का वर्ष–2015

| क्र0 सं0 | ज्येष्ठता सूची का क्रमांक | पीएनओ | कर्मी का नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | कैडर | वर्तमान तैनाती | | भर्ती की तिथि | उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि | सेवा अवधि (परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये) (चयन वर्ष 2015 के लिये) | | | वार्षिक गोपनीय मंतव्य (भर्ती / रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये) | | | | | | | सत्यनिष्ठा (भर्ती / रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये) | | | | दीर्घ दण्ड– नियम–14(1) (भर्ती / रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये) | | | | | | लघु दण्ड– नियम–14(2) (भर्ती / रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये) | | | | | | वर्तमान निलम्बन | | लम्बित आपराधिक प्रकरण | | | प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही / जांच (विभागीय / सीबीसी आईडी / भ्र0नि0सं0 / ई0ओ0डब्लू0 / सतर्कता अधि0) | | | अभ्यर्थी के दण्ड / अनुशासनिक कार्यवाही / अभियोग / प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय / अधिकरण के आदेश | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | जनपद / इकाई | परिक्षेत्र / अनुभाग | | | वर्ष | माह | दिन | वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी | प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक | प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन / अपील प्रेषित करने का | वर्तमान स्थिति (लम्बित / अस्वीकृत / स्वीकृत) | सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन / अपील प्रेषित करने का | वर्तमान स्थिति (लम्बित / अस्वीकृत / स्वीकृत) | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | घटना का वर्ष | दण्ड की प्रकृति (पदच्युत करना / सेवा से हटाना / वेतनमान में अवनति) | दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन / अपील प्रेषित करने का | वर्तमान स्थिति (लम्बित / अस्वीकृत / स्वीकृत) | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | घटना का वर्ष | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि / अर्थदण्ड आदि) | दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन / अपील प्रेषित करने का | वर्तमान स्थिति (लम्बित / अस्वीकृत / स्वीकृत) | आदेश संख्या / दिनांक | निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में) | अपराध संख्या / धारा / थाना / जनपद | न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक | न्यायालय का निर्णय व दिनांक | जांच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में) | अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक | आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में) | वाद संख्या एवं आदेश का दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |